

# पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उधम)

पूर्वी क्षेत्र पारेषण प्रणाली-1, मुख्यालय,  
बिहार राज्य ईलेक्ट्रीसीटी बोर्ड कोलोनी,  
टी. आर. डब्लू सेंटर के नजदीक, पोस्ट+थाना-शास्त्रीनगर  
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, पटना-८०००२३

स्पीडपोस्ट

संदर्भ: PGCIL/ER-I/RTI-186/2018-19/

दिनांक: 14.03.2019

सेवा में,

श्री मुन्ना लाल प्रसाद,

पिता- स्व.राम विष्णु भगत,

ग्राम-तातारी, पो.मोहनपुर, पटना-804453 (बिहार)

विषय: सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत मांगी गयी जानकारी के सम्बन्ध में।

संदर्भ: 1.पावरग्रिड पत्रांक सं.2071 दिनांक-22.01.2018.

2.पावरग्रिड पत्रांक सं.204 दिनांक-23.04.2018.

3.श्री अनिल कुमार,विधुत आपूर्ति प्रमण्डल, मसौडी-804452(बिहार), पत्र सं.1444 दिनांक-  
01.11.2018.

4.पावरग्रिड पत्रांक सं.2073 दिनांक-06.12.2018.

5.आपका ईमेल रजि. न. RTI/2018-19/7565 & PGCIL/ER-I/2018-19/186 दिनांक-  
14.02.2019.

महाशय,

कृपया आप अपने ईमेल रजि. न. RTI/2018-19/7565 & PGCIL/ER-I/2018-19/186 दिनांक-  
14.02.2019, का संदर्भ लेंगे। आपके आवेदन को सम्बंधित विभाग पावरग्रिड, पू.क्षे.1, टी.एल.सी.  
विभाग, पटना को अग्रसारित किया गया था। सम्बंधित विभाग द्वारा दिनांक-14.03.2019 को  
**अनुलग्नक-1** के रूप में उत्तर प्राप्त हुआ है, जो इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको अग्रसारित किया  
जा रहा है। आपके द्वारा **बार-बार एक ही प्रश्न का उत्तर** मांगा जा रहा है, जबकि विगत मे उपर  
वर्णित संदर्भ के पत्रो द्वारा आपको उत्तर /सूचना दिया जा चुका है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपने इस तरह के प्रक्रिया को अपना कर विभाग के कार्यवाही में  
अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। कृपया ध्यान देने का कोशिश करे ।

सधन्यवाद।

भवदीय

  
(एम.के.अग्रवाल)

वरि.महाप्रबंधक (वाणिज्य) एवं  
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

संलग्न:अनुलग्नक-1

31/03/19-1

जवाब :

श्री मुन्ना लाल प्रसाद पिता- स्वर्गीय रामबिष्णु भगत, ग्राम-तेतरी, पो-मोहनपुर, जिला -पटना, राज्य - बिहार के द्वारा मांगी गई जानकारी जो आपके पत्रांक 2785 दिनांक 05.03.2019 प्रेषित है बिंदुवार जानकारी निम्न प्रकार है

1. श्री मुन्ना लाल प्रसाद के जमीन पर टावर निर्माण विद्युत नियमावली 2003 के अंतर्गत खंड -164 के अंतर्गत किया गया है जो बिलकुल ही संबैधानिक है।
2. विद्युत मंत्रालय , भारत सरकार के दिशा निर्देश संख्या 3/7/2015-Trans दिनांक 15.10.2015 के अनुसार पावर ग्रिड प्रभावित जमीन मालिकों को जमीन का मुआबजा देने का प्रावधान है।

(क) 85 % जमीन दर क टावर स्थान के लिए।

(ख) 15 % जमीन दर क लाइन गलियारे के लिए।

जमीन दर जिला प्रशासन के द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

यह भुगतान राज्य सरकार के इस सन्दर्भ में दिशा निर्देश प्रकाशित करने बाद ही किया जाएगा।

3. श्री मुन्ना लाल प्रसाद को फसल क्षति पूर्ति मुआवजा का भुगतान नियम के तहत फाउंडेशन, इरेक्शन एवं तार खींचने का दिया जा चुका है।

दीपक  
12/03/2019

दीपक कृष्णन / DEEPAK KRISHNAN  
उप प्रबंधक / Deputy Manager  
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED  
पूर्वी क्षेत्र पारिषद प्रणाली-I / ERTS-I  
बोर्ड कॉलोनी, शास्त्री नगर, पटना-23/Board Colony, Shastri Nagar, Patna-23